

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/189564/SDN/SIDDHARTH NAGAR/990/CF0

दिनांक: 23-02-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ADVIKA INTERNATIONAL SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता GATA NO.-180A, 180BA, AND 181, VILLAGE-THUMHWA BUJURG, POST-CHETIYA BAZAR, SIDDHARTH NAGAR तहसील - BANSI, प्लॉट एरिया 7219.24 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 1899.11 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	2	0	7.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स ADVIKA INTERNATIONAL SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 24-02-2026 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री AMIT SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 25-02-2026 से 24-02-2031 तक 5 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स ADVIKA INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स ADVIKA INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या के क्रम में एन बी सी 2016 एवं उ0प्र0अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के उपबन्धों के आधार पर निर्गत।

1. भवन स्वामी द्वारा प्रत्येक 06 माह में फायर इन्वेक्शन / माकड्रिल व अग्निशमन प्रशिक्षण स्थानीय फायर स्टेशन प्रभारी के पर्यवेक्षण में कराकर रिकार्ड रखे जायेंगे
2. फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0 / मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाये।
3. विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. मेसर्स द्वारा भवन के ढांचे में परिवर्तन(अतिरिक्त निर्माण/अधिभोग) करने से पूर्व सम्बंधित विभाग से पूर्वानुमति लेकर ही कराया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(YATINDRA NATH)

[3AE69CB8601B8602CFB2507A69D0EF386F719C3D]

25-02-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-02-2026
स्थान : SIDDHARTH NAGAR